27.6.24 पत्रावली पेश हुई
वादी वकील उप.।
निजामत प्रपत्र जारी हो। अतः तहसील सहित
पत्रावली आइंदा 23.7.24 को पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

23.7.24 पत्रावली पेश हुई
वादी वकील उप.। प्रतिवादीगण एकतरफा।
निजामत प्रपत्र जारी हो। अतः तहसील सहित
पत्रावली आइंदा 22.8.24 को पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

22.8.24 पत्रावली पेश हुई
वादी वकील उप.। प्रतिवादीगण एकतरफा।
निजामत प्रपत्र पर जारी पटवारी तहसीलदार सिणधरी
से रिपोर्ट प्राप्त हुई. जो शामिल मिसल हो।
पत्रावली वास्ते सुनवाई हेतु आइंदा 17.9.24
को पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

17.9.24 पत्रावली पेश हुई
वादी वकील उप.। प्रतिवादीगण एकतरफा।
पत्रावली वास्ते सुनवाई [illegible]
को पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:32 IST
Reason: SelfAttested

25.10.24 पत्रावली पेश हुई
वादी वकील उप.। प्रतिवादीगण एकतरफा।
पत्रावली वास्ते सुनवाई हेतु आइंदा 12.12.24
को पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

16/2019

12.12.2024

पत्रावली पेश हुई।

वादी वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार उप.।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व दस्तावेजी साक्ष्यों तथा विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त रिपोर्ट का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवचेन किया गया। चूंकि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के जरिये पक्षकारान के मध्य खातेदारी घोषणा बाद विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद की इस्तदुआ में अपने दर्ज राजस्व रेकर्ड में हिस्साकस्सी के आधार पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन के वाद के अवलोकन में पाया गया कि पक्षकारान के राजस्व रेकर्ड में दर्ज एवं वर्तमान में तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त रिपोर्ट में भिन्नता पायी गई है, जिसके अनुसार वादीगण द्वारा अपनी इस्तदुआ में वर्णित सकल हिस्सा वर्तमान में धारित कुल खसरे की भूमि के रकबे से अधिक होता है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण जो कि पूर्व में एकतरफा हो गये है, का शेष रकबा रहता भी नहीं है। जहां तक वाद में वादीगण द्वारा अपनी दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों के जरिये अपना निहीत हक हिस्सो को लेकर प्रदर्श भी तस्दीक करवाये जा चुके है, ऐसी स्थिति में लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी वादीगण अपने वाद के अभिकथनों में हिस्सा–कस्सी के कमी–बेसी की जानकारी अथवा वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के संबंध में प्रथम दृष्टया यह साबित करने में विफल रहे है कि पक्षकारान के मध्य कब्जा काश्त अथवा उनके हिस्सो में पूर्ववत अथवा वर्तमान परिस्थिति में भिन्नता किस स्तर से की गई है। ऐसी स्थिति में बिना किसी विधिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रमाणिकता की जांच किये बिना यह वाद चलने योग्य नहीं है।

अतः वादी का वाद दस्तावेजी साक्ष्यों की उपलब्धता को सिद्व नहीं किये जाने की स्थिति में वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा कस्सी के अनुसार अपनी इस्तदुआ की प्रमाणिकता के अनुरूप घोषणा एवं विभाजन हेतु विधिवत रूप से नया वाद दायर करने हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:32 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
SDO सिणधरी